(14) ।। श्री गणेशाय नमः ।। (6)

13125

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु Rs 20000 रु

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 854395

TREASURY OFFICE

15 JUN 2006

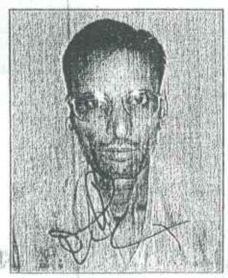

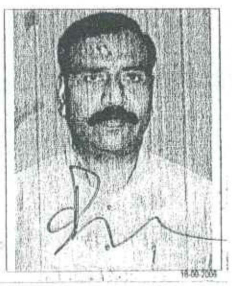

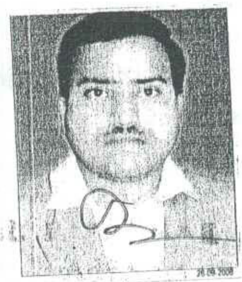

बैनामा 400000/–रूपया स्टाम्प हेतु मालियत 400000/–रूपया स्टाम्प देय 40000/–रूपया बिक्रित आराजी स्थित मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा मौजे की आराजी का सरकारी रेट सड़क से दूर होने की वजह से 400000/–रूपया प्रति एकड़ का है जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ संख्या–41 के क्रमांक 1 पर दर्ज है। कार्य क्षेत्र उ0नि0 मथुरा द्वितीय।

मैं कि सूरजभान पुत्र श्री शिवलाल निवासी ग्राम आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हूं।

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–160 व खसरा नंबर–65 रकवा 4.711 हैक्टेयर लगानी 85.65 रूपया सालाना बाकै मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 1/12 मिल्कियत मेरी है और सरकारी कागजात माल में मेरा नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 1/12 पर मेरा कब्जा है और जिसके विषय में मुझको हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु. Rs 20000 रु.

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

सत्यमेव जयते

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

02CC 854396

TREASURY OFFICE

15 JUN 2006

(2)

साफ है जिस हिस्सा 1/12 में सिवाय मेरे अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो मेरे हिस्से 1/12 का बैनामा करने में कोई रुकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 1/12 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत मेरी ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 400000/—रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 1/12 की स्टाम्प हेतु मालियत 400000/—रूपया है कृषी से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में मेरा सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से मुझको एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी अतः उक्त आराजी हिस्सा 1/12 को समस्त अधिकारों सहित जो मुझको प्राप्त हैं या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 400000/—चार लाख रूपये जिसकेआधे 200000/—दो लाख रूपया होते हैं। बदस्त श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से पहले ही पाकर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/12 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया

(3)

। खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 1/12 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब मुझको व मेरे वारिसानों को बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 1/12 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब मेरे जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व मेरे वारिसानों व मेरी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता व क्रेता दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य है। विक्रेता अपनी उक्त आराजी के बेचने का सौदा अन्य किसी भी व्यक्ति से तय नहीं किया है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है। मुख्तारनामा आम दिनांक–30.12.2003 जिसका निबधंन कार्यालय उ0नि0

मथुरा में बही नंबर–4 जिल्द 33 के सफा 163 / 166 नंबर–560 पर दिनांक–30.12. 2003 हुआ है, के द्वारा मुझ राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा को केता श्री प्रतापसिंह पुत्र श्री मौहर सिंह निवासी मोतीकुंज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा के हक में बैनामा कराने कीमत का रूपया अदा करने व बैनामा रजिस्ट्री कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

दिनांक–15.6.2006

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

गवाह पप्पू पुत्र श्री गिर्राज नि० गाम आन्यौर गोवर्धन (मथुरा)

गवाह श्याम सिंह पुत्र श्री रामसिंह ... (मथुरा)

पप्पू

आज दिनांक **28/09/2006** को

बही सं **1** जिल्द सं **2020**

पृष्ठ सं. **229** से **240** पर कमांक **13121**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

देवेन्द्र सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
28/9/2006

नक्शा आबादी स्थित ग्राम-हाथरस(
खसरा नं० 65 मौजा मधुपुर
स्वामी सूरजभान
रकबा 4.71 हैक्टेयर 1/2 भाग विक्रय हेतु

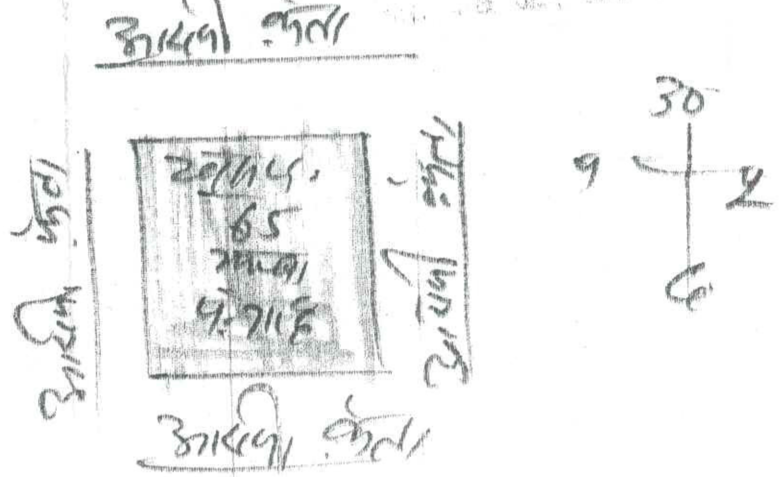

सूरजभान

10/12/21

0254 ग्राम का नाम : आन्योर | परगना : कोसी खुर्द | तहसील : सदर

फसली वर्ष : 1408-1413 | भाग : 1

उद्धरण खतौनी

पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
------2------		3	4	5	6	7-12	13
बदले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110		1408क व आदेश श्रीमान ना0 तह0 गो0 तह0 के द्वारा वाद सं0 151NTG/12.10.2000 के अनुसार खाता सं0 160 पर दर्ज खातेदार नत्थी पुत्र बदले नि0 ग्राम आन्योर का नाम खारिज करके बजाय वर्णाकृत वसीयत विजयपाल पुत्र नवाली नि0 आन्योर का नाम बतौर स0 भू0 अंकित हो ह0 ले0 25.10.2000 1408क व आदेश ना0 तह0 गो0 वाद सं0 191NTG/20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता सं0 160 गाटा सं0 65 रकबा 4.711 ल0 85.65 के यथोचित भाग में 0.127 रकबा से विक्रेता खातेदार केशव देव पुत्र नवाली नि0 आन्योर का नाम खारिज करके सहखातेदार क्रेता चन्द्रपाल पुत्र नवाली नि0 आन्योर का नाम बतौर स0 भू0 सहखातेदार दर्ज हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क्र के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक बताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस सतीश चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम बतौर वारिस दर्ज हो ह0 ले0 27.11.2000 1413फ- व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद सख्या 376NTG ता0फे0 30.9.05 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा सख्या 65 रकबा 4.711 भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिंह पुत्र केली निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मोहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेन्शन कालोनी	प्रतिलिपि सकल खतौनी 31 JAN 2007 प्रतिलिपि क्रमांक- 69 तहसील सदर, मथुरा
नवाली	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
नवाली	नि. ग्राम						
केली	नि. ग्राम						
केली	नि. ग्राम						
केली	नि. ग्राम						
केली	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						
शिवलाल	नि. ग्राम						

…णीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

उद्धरण खतौनी

ग्रा० क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00160	नत्थी	बदले	नि. ग्राम	1360फ	65	4.7110		1408फ व आदेश श्रीमान ना0 तह0 गो0 महो0 के द्वारा वाद स0 181NTG/12.10.2000 के अनुसार खाता स0 160 पर दर्ज खातेदार नत्थी पुत्र वदले नि0 ग्राम आन्यौर का नाम खारिज करके वजरिये पजीकृत वसीयत विजयपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 अकित हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश ना0 तह0 गो0 वाद स0 191NTG/ 20.10.2000 को आदेश हुआ कि खाता स0 160 गाटा स0 65 रकवा 4.711 ल0 85.65 के यथोचित भाग मेसे 0.127 रकवा से विक्रेता खातेदार केशव देव पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम खारिज करके सहखातेदार क्रेता चन्द्रपाल पुत्र मवासी नि0 आन्यौर का नाम वतौर स0 भू0 सहखातेदार दर्ज हो ह0 ले0 25.10.2000 1408फ व आदेश रा0 नि0 कोसीखुर्द दि027.11.2000पक 11क के क्र0 69 पर मिहीलाल मृतक वताया गया मृतक का नाम खारिज करके वारिस सतीश चन्द व मनीश चन्द पुत्रगण मिहीलाल व श्रीमती सोनदेवी पत्नी मिहीलाल नि0 ग्राम वतौर वारिस दर्ज हो ह0 ले0 27.11.2000 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 376NTG ता0फै0 30.9.05 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा सख्या 65 रकवा 4.711 भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता रतन सिह पुत्र कैसी निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेन्शन कालौनी	
	केशवदेव	मवासी	नि. ग्राम	1360फ	82	4.8530			
	चन्द्रपाल	मवासी	नि. ग्राम						
	बाबूलाल	केसी	नि. ग्राम						
	मिहीलाल	केसी	नि. ग्राम						
	रतन सिह	केसी	नि. ग्राम						
	श्रीमती किरन देई विधवा	केसी	नि. ग्राम						
	रमेशचन्द	शिवलाल	नि. ग्राम						
	सूरजभान	शिवलाल	नि. ग्राम						
	अमर सिह वालिगान	शिवलाल	नि. ग्राम						

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संाराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	---2---			3	4	5	6	7-12	13
								मौजा मिर्जा पुर का नाम वजरिये बैनामा दर्ज हो ह0 A ARK30.9.05 1413फ- व आदेश श्रीमान नायव तहसीलदार गोवर्धन बाद सख्या 94NTG ता0फै0 6.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के खसरा ख्या 65 रकवा 4.711 हे. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता सतीशचन्द व मनीषचन्द पुत्रगण श्री मिहीलाल व श्रीमती सोनदेई पत्नी श्री मिहीलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता प्रताप सिह पुत्र मोहर सिह निवासी मोतीकुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम वजरिये बैनामा बतौर स0 भू0 दर्ज हो ह0ARk 6.1.06 1413फ- व आदेश श्रीन तहसीलदार मथुरा बाद सख्या `77ATM ता0फै0 12.1.06 के अनुसार खाता सख्या 160 के गाटा सख्या 64/4.711 हे. भू रा 85.65 के यथोचित भाग से विक्रेता अमर सिह पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम निरस्त करके क्रेता श्री प्रताप सिह पुत्र मौहर सिह निवासी मोंती कुन्ज एक्टेन्शन मौजा विरजापुर का नाम बैनामा दिनांक 7.12.05 के बतौर अकित हो ह0RK. 12.1.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथूरा वाद सं.1391 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं. 65/4.711 के यथोचित भाग से विक्रेता विजयपाल पुत्र मवासी निवासी ग्राम का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन कालौनी मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथूरा का नाम बतौर दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथूरा वाद सं.1392 TM ता.फै.12.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.	149

ग्राम क्रमांक : 07010600254 ग्राम का नाम : आन्यौर परगना : कोसी खुर्द तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1408-1413 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	--------------------------2--------------------------			3	4	5	6	7-12	13
								65/4.711 भू.रा.85.65 मे से रकवा 0.855 से विक्रेता केशवदेव पुत्र मवासी व रमेश पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम के यथोचित भाग से विक्रेतागण का नाम बजरिये बैनामा दिनांक 6.9.06 के खारिज होकर क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोतीकुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर तहसील व जिला मथुरा का नाम बतौर सं.भू. दर्ज हो। ह.र.का.12.10.06 1414फ व आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार गोवर्धन वाद सं.602NTG ता.फै.21.10.06 के अनुसार खाता सं.160 गाटा सं.65/4.711 भू.रा.60ख के यथोचित भाग से विक्रेता सूरजभान पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम का नाम खारिज कर के क्रेता प्रताप सिंह पुत्र मौहर सिंह निवासी मोती कुन्ज एक्सटेंशन मौजा बिरजापुर का नाम बजरिये बैनामा सं.भू. अंकित हो। ह.ARK.29..11.06	
					कुल गाटे : 2	कुल क्षे : 9.5640	173.90		

हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा
वाद संख्या 76/2006-07

प्रतापसिंह बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा आन्यौर

घोषणा अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0

COURT FEE INDIA ONE RUPEE

तहसीलदार, मथुरा की आख्या दिनांक 23.1.2007 से विदित है कि मौजा आन्यौर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता खतौनी संख्या 160 खसरा संख्या 65 रकबा 4.711 में से रकबा 2.917है0 भूराजस्व 85.65 पैसे/के प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोती कुन्ज एक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। मौके पर यह भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदिकृषि के कार्यों में नहीं लाई जा रही है। यह भूमि किसी सरकारी/अर्द्ध सरकारी विभाग द्वारा अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा आबादी घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है।

अतः प्रश्नगत भूमि को तहसीलदार, मथुरा की उक्त आख्यानुसार निम्नप्रकार अकृषिक घोषित किया जाता है।

मौजा परगना व जिला	भूमिधर का नाम, पिता का नाम व निवास स्थान	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	भूराजस्व	अकृषिक उपयोग में लाई जाने वाली भूमि का विवरण खसरा	रकबा	भूराजस्व	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
आन्यौर मथुरा	प्रतापसिंह पुत्र मोहरसिंह नि0 मोतीकुन्ज ऐक्सटेंशन तहसील व जिला मथुरा	160	65	4.711	85.65	65	2.917है.	53.00पैसे	
	योग-	1किता	1किता	4.711	85.65	1किता	2.917है.	53.00	

उपरोक्त घोषणा की एक-एक प्रति तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में इन्द्राज करने हेतु भेजी जावे।

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक: 23.1.2007

प्रतिलिपि तहसीलदार, मथुरा व उप निबन्धक, मथुरा कोउपरोक्तानुसार कार्यवाई कराने हेतु प्रेषित।

(अवनीश कुमार शर्मा)
उप जिलाधिकारी, मथुरा।

दिनांक: 23.1.2007

उपजिलाधिकारी/उप जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

सत्य प्रतिलिपि
अहलमद, उपजिलाधिकारी
मथुरा
29/11/07

क्रमांक 754
नाम प्रार्थी प्रताप सिंह
आवेदन देने का दिनांक 29/11/07
... 7
नकल तैयार होने का दिनांक 29/11/07
नकल जारी करने का दिनांक 29/11/07
नकलों की संख्या ...